न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 395 सन 2019
अनवान :–

1. सुनील कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. एकता पत्नी अनील जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. अरूण पुत्र अनील नाबालिग जरिये वली माता एकता पत्नी अनील जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. अनुष्का पुत्री अनील नाबालिग जरिये वली माता एकता पत्नी अनील जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रचना पुत्री जगदीशी पत्नी विनोद जाति जाट साकिन रताखेडा तहसील राणिया जिला सिरसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4. एस.बी.आई बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 9/9/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 160/131 के प0न0 340/355(131) किला न0 16/1 की 0.1900 ,17/0.2530 ,21 ता 24/1.0120 ,25/1 की 0.1900 ,प0न0 338/358(250) किला न0 15/2 की 0.0100 ,प0न0 339/358(251) किला न0 11/0. 2530 ,18 ता 20/0.7590 ,कुल 2.6670हैक , एवं खाता संख्या 161/132 के प0न0 338/356(172) किला न0 19 ता 23/1.2650प0न0 338/357(208) किला न0 1 ता 3/0. 7590 कुल 2.0240हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख का देहान्त हो चुका है जिसके पुत्र जगदीश के एक पुत्र अनील का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 2 ता 4 है

प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 की बहन व वादी संख्या 2 की ननद , वादीगण संख्या 3 ,4 की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

Scanned with CamScanner

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता र रामलाल पुत्र रामरिख के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,जो वादी संख्या 1 की बहन वादीगण संख्या 3 ,4 की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/भतीजो/पिता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 160/131 के प0न0 340/355(131) किला न0 16/1 की 0.1900 ,17/0.2530 ,21 ता 24/1.0120 ,25/1 की 0.1900 ,प0न0 338/358(250) किला न0 15/2 की 0.0100 ,प0न0 339/358(251) किला न0 11/0.2530 ,18 ता 20/0.7590 ,कुल 2.6670हैक्, एवं खाता संख्या 161/132 के प0न0 338/356(172) किला न0 19 ता 23/1.2650प0न0 338/357(208) किला न0 1 ता 3/0.7590 कुल 2.0240हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख का देहान्त होने पर वाद भूमि उनके पुत्रो के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या ,2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

वादी के दादा रामलाल पुत्र रामरिख का देहान्त हो चुका है जिसके पुत्र जगदीश के एक पुत्र अनील का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 2 ता 4 है

प्रतिवादी संख्या 2 वादी संख्या 1 की बहन व वादी संख्या 2 की ननद , वादीगण संख्या 3 ,4 की बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्डाधिकारी नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 160/131 के प0न0 340/355(131) किला न0 16/1 की 0.1900 ,17/0.2530 ,21 ता 24/1.0120 ,25/1 की 0.1900 ,प0न0 338/358(250) किला न0 15/2 की 0.0100 ,प0न0 339/358(251) किला न0 11/0.2530 ,18 ता 20/0.7590 ,कुल 2.6670हैक , एवं खाता संख्या 161/132 के प0न0 338/356(172) किला न0 19 ता 23/1.2650प0न0 338/357(208) किला न0 1 ता 3/0.7590 कुल 2.0240हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1000 रोही मौजा चक 3 बारानी के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी संख्या 1 के दादा वादी संख्या 2 के ससुर के पिता एवं वादीगण संख्या 3 ,4 के पडदादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 3 ,4 के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है विरास्तन से भूमि वादी संख्या 1 के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा।

प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र अनील कुमार का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादीगण संख्या 2 ता 4 है जो वाद में अंकित कुर्सीनामा से साबित है एवं कुर्सीनामा के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही हुआ है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 जो वादी संख्या 1 की बहने है वादी संख्या 3 ,4 की बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चका है ।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 160/131 के प0न0 340/355(131) किला न0 16/1 की 0.1900 ,17/0.2530 ,21 ता 24/1.0120 ,25/1 की 0.1900 ,प0न0 338/358(250) किला न0 15/2 की 0.0100 ,प0न0 339/358(251) किला न0 11/0.2530 ,18 ता 20/0.7590 ,कुल 2.6670हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा , वादी संख्या 2 ता 4 का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है एवं चक 3 बारानी के खाता संख्या 161/132 की कुल 2.0240हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा दर्ज है वह यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुनील कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. एकता पत्नी अनील जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. अरूण पुत्र अनील नाबालिग जरिये वली माता एकता पत्नी अनील जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. अनुष्का पुत्री अनील नाबालिग जरिये वली माता एकता पत्नी अनील जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1 जगदीश पुत्र रामलाल जाति जाट साकिन मलवाणी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 रचना पुत्री जगदीशी पत्नी विनोद जाति जाट साकिन रताखेडा तहसील राणिया जिला सिरसा
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
4 एस.बी.आई बैक शाखा फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 395 सन 2019 निर्णय दिनांक– 9/9/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 160/131 के प0न0 340/355(131) किला न0 16/1 की 0.1900 ,17/0.2530 ,21 ता 24/1.0120 ,25/1 की 0.1900 ,प0न0 338/358(250) किला न0 15/2 की 0.0100 ,प0न0 339/358(251) किला न0 11/0.2530 ,18 ता 20/0.7590 ,कुल 2.6670हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा , वादी संख्या 2 ता 4 का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार है घोषित किया जाता है एवं चक 3 बारानी के खाता संख्या 161/132 की कुल 2.0240हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का 3/4 हिस्सा दर्ज है वह यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/09/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner